

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

चर्चा में क्यों

हाल ही में हरियाणा के [मुख्य सचिव](#) ने [राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड \(HSPCB\)](#) को प्रदूषण रिपोर्टिंग और अंतर-वर्षीय समन्वय बढ़ाने का निर्देश दिया।

मुख्य बिंदु:

- **मासिक प्रदूषण रिपोर्ट:** हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) के क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के लिये मासिक पर्यावरण रिपोर्ट संकलित करने के निर्देश दिए गए हैं।
- **बोर्ड की विस्तारित भूमिका:** HSPCB, जिसकी स्थापना मूल रूप से [जल प्रदूषण से निपटने के लिये की गई थी](#), ने वर्ष 1974 में अपनी स्थापना के बाद से पर्यावरणीय मुद्दों की एक व्यापक शृंखला से निपटने के लिये अपने दायरे का विस्तार किया है।
- **जैव-चकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन:** स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने [जैव-चकित्सा अपशिष्ट](#) संग्रहण और निपटान का कार्य विभिन्न एजेंसियों को सौंपने का सुझाव दिया तथा कार्यकुशलता के लिये उनके परिचालन क्षेत्र को 75 किलोमीटर से कम रखने का प्रस्ताव रखा
- **वायु गुणवत्ता निगरानी:** सरदरियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिये, विशेष रूप से NCR में, हरियाणा में:
 - 29 [सतत परविशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन \(CAAQMS\)](#) स्थापित किये गए (NCR में 21)।
 - [व्यापक वायु गुणवत्ता](#) निगरानी के लिये राज्य भर में 46 मैनुअल स्टेशन स्थापित किये गए।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- भारत सरकार के [जल \(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण\) अधिनियम, 1974](#) के पारित होने के बाद जल की स्वच्छता बनाए रखने तथा जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये वर्ष 1974 में हरियाणा सरकार द्वारा एक वैधानिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

- CPCB एक वैधानिक संगठन है जिसका गठन सितंबर, 1974 में [जल \(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण\) अधिनियम, 1974](#) के तहत किया गया था।
- इसे [वायु \(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण\) अधिनियम, 1981](#) के अंतर्गत शक्तियाँ प्रदान की गईं एवं कार्य निर्दिष्ट किये गए।
- यह एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है तथा [पर्यावरण \(संरक्षण\) अधिनियम, 1986](#) के प्रावधानों के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी प्रदान करता है।